



नविवारक नरिध कानूनौ का दुरुपयोग

यह एडिटोरियल 12/04/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Safeguards and procedures: On India's preventive detention laws" लेख पर आधारित है। इसमें औपनविशकि काल के नविवारक नरिध कानूनौ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है।

संदर्भ

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने टपिपणी की कदिश के नविवारक नरिध कानून (preventive detention laws) औपनविशकि वरिसत रखते हैं और राज्य को मनमाना अधिकार प्रदान करते हैं। उसने यह भी कहा कि संवधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तगत स्वतंत्रता के लिये भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

- न्यायालय के इस अवलोकन के अलावा, ऐसे कई दृष्टांत मौजूद हैं जहाँ इन कानूनौ का दुरुपयोग देखा गया है और न्यायालयों के समक्ष मामले पेश किये गए हैं।
- इस संदर्भ में, नविवारक नरिध, इससे संबंधित मुद्दों और आगे की राह पर वचिर करना प्रासंगिक होगा।

नविवारक नरिध क्या है?

- नविवारक नरिध (Preventive Detention) का अर्थ है किसी व्यक्त को नरिद्ध करना ताकि उस व्यक्त को किसी भी संभावित अपराध के कृत्य से रोका जा सके।
- दूसरे शब्दों में, नविवारक नरिध प्रशासन द्वारा इस संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्त द्वारा कुछ ऐसे गलत कृत्य किये जा सकते हैं जो राज्य के लिये प्रतिकूल या हानिकर (prejudicial) होंगे।

नविवारक नरिध से संबंधित प्रावधान

- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 151 में उपबंध किया गया है कि एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के भी किसी व्यक्त को गिरफ्तार कर सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तार किये बिना ऐसे किसी अपराध को रोका नहीं जा सकता है।
- [अनुच्छेद 22](#) इस तरह के नरिधों से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है।

किसी व्यक्त को किस आधार पर नरिद्ध किया जा सकता है?

- नविवारक नरिध के आधार हैं:
 - राज्य की सुरक्षा,
 - लोक व्यवस्था,
 - वदिश मामले, और
 - सामुदायिक सेवाएँ।

नरिद्ध किये गए व्यक्त के लिये कौन-से सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं?

- प्रथमतया, किसी व्यक्त को केवल 3 माह की अवधि के लिये नविवारक अभिरक्षा (preventive custody) में लिया जा सकता है।
 - नरिध की अवधि 3 माह से आगे केवल सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) के अनुमोदन पर बढ़ाई जा सकती है।
- नरिद्ध किये गए व्यक्त को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस आधार पर नरिद्ध किया गया है।
 - हालाँकि राज्य सार्वजनिक हित में यदि आवश्यक हो तो आधार बताने से इनकार भी कर सकता है।
- नरिद्ध किये गए व्यक्त को अपने नरिध को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

नविवारक नरिध के पक्ष में तरक

- **राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये नविवारक नरिध कानून आवश्यक हैं, जो प्राधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को नरिद्ध करने की अनुमति देते हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या समाज की शांति एवं व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **अपराधों को रोकने के लिये पूर्व-सक्रिय उपाय:** नविवारक नरिध का उपयोग अपराधों के कारि होने से पहले ही उन्हें रोकने के लिये एक पूर्व-सक्रिय उपाय के रूप में कथि जा सकता है। इसका उपयोग प्रायः उन व्यक्तियों को नरिद्ध करने के लिये कथि जाता है जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना रखते हैं या जो पूर्व में अपराधों में संलग्न रहे हैं।
- **न्यायपालिका द्वारा समर्थति:** न्यायपालिका ने ऐसे कानूनों की वैधता को बरकरार रखा है क्योंकि वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिये दशिया-नरिदेश भी नरिधारति कथि है कि नविवारक नरिध का उपयोग वविकपूर्ण तरीके से कथि जाए और व्यक्तियों को मनमाने ढंग से नरिद्ध नहीं कथि जाए।
 - अहमद नूर मोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने CrPC की धारा 151 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग इस प्रावधान को मनमाना और अनुचित सिद्ध नहीं कर सकता।
 - मरियप्पन बनाम ज़िला कलेक्टर एवं अन्य मामले में यह नरिणय दथिा गया कि नरिध और इससे संबंधति कानूनों का उद्देश्य कसी को दंडति करना नहीं है, बल्कि कुछ अपराधों को घटति होने से रोकना है।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** भारत का संवैधानिक नविवारक नरिध कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिये कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
 - प्रथमतया, कसी व्यक्ति को केवल 3 माह की अवधि के लिये नविवारक अभरिक्षा (preventive custody) में लथिा जा सकता है।
 - नरिध की अवधि 3 माह से आगे केवल सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) के अनुमोदन पर बढ़ाई जा सकती है।
 - नरिद्ध कथि गए व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे कसि आधार पर नरिद्ध कथिा गया है।
 - हालाँकि राज्य सार्वजनिक हति में यद आवश्यक हो तो आधार बताने से इनकार भी कर सकता है।
 - नरिद्ध कथि गए व्यक्ति को अपने नरिध को चुनौती देने का अवसर प्रदान कथिा जाता है।
- **संभावति अपराधियों के लिये नविवारक:** नरिद्ध कथि जाने का भय उन व्यक्तियों के लिये एक नविवारक (deterrent) के रूप में कार्य कर सकता है जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने की कोई मंशा या योजना रखते हैं।

नविवारक नरिध कानूनों से संबद्ध मुद्दे

- **तुच्छ कारणों से उपयोग:** ऐसे कई दृष्टांत सामने आए हैं जहाँ अधिकारियों को तुच्छ या मामूली वषियों में इन कानूनों का उपयोग करते हुए पाया गया है। सबसे अजीब दृष्टांतों में से एक यह रहा कि घटथिा मरिच पाउडर बेचने के लिये एक व्यक्ति को 'गुंडे' के रूप में नरिद्ध कथिा गया।
- **उपयुक्त परिभाषा का अभाव:** वभिन्न राज्य कानूनों में, यह स्पष्ट नहीं है कि कसी व्यक्ति को कसि आधार पर नरिद्ध कथिा जाना चाहथि। इस प्रकार, कानून का दायरा शायद ही कभी अभ्यासकि अपराधियों (habitual offenders) तक सीमति रहता है।
- **औपनिवेशिक वरिसत:** कुछ वशिषज्ञों का तरक है कि आधुनिक समय में ऐसे कानूनों की आवश्यकता नहीं है जो बरि्टिशि राज के दौरान स्वतंत्रता सेनानथियों के वरिद्ध उपयोग कथि गए थे।
- **मूल अधिकारों के वरिद्ध:** ऐसे कानून मूल अधिकारों के स्पष्ट वरिध में हैं। कसी व्यक्ति को इस अनश्चिति आधार पर नरिद्ध कथिा जाना कथिह कोई अपराध कर सकता है, [अनुच्छेद 19 एवं 21](#) तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **दुरुपयोग:** कई बार ऐसा देखा गया है कि इन कानूनों का प्रतशिोधितमक तरीके से दुरुपयोग कथिा गया है। कई मामलों में सत्तारूढ दलों को वषिष के सदस्यों को दंडति करने के लिये इन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए देखा गया है। COVID काल में वभिन्न राज्य सरकारों ने कई वषिष नेताओं और पत्रकारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियिम (NSA) का उपयोग कथिा।
- **सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता:** अनुच्छेद 22 व्यक्ति को अपनी गरिफ्तारी के आधारों के बारे में सूचिति कथिा जाने का अधिकार देता है, लेकिन वही अनुच्छेद सार्वजनिक हति में आधारों का खुलासा न करने का भी प्रावधान करता है। इस प्रकार, नरिध के आधारों का खुलासा करने से इनकार करना सही अर्थों में सुरक्षा उपाय नहीं है।

आगे की राह

- **कानूनों में एकरूपता लाना:** नविवारक नरिध के वषिय में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून प्रचलति हैं क्योंकि विधि एवं व्यवस्था राज्य सूची का वषिय है। इस स्थति में केंद्र सरकार को राज्यों से आग्रह करना चाहथि कि वे कसी न कसी मॉडल अधनियिम के माध्यम से इनमें एकरूपता लाएँ।
- **अस्पष्टता को दूर करना:** अस्पष्टता या संदगिधता को दूर करने के लिये कानूनों के अधिन अपराधों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषति कथिा जाना चाहथि। उदाहरण के लिये, तमलिनाडु का 'गुंडा अधनियिम' अवैध शराब वकिरेता, झुगगी हडपने वाले, वन में अवैध गतिविधि करने वाले अपराधियों से लेकर वीडथियो पाइरेट, यौन अपराधी और साइबर अपराधियों तक सबको ही दायरे में शामिल कर लेता है।
- **कानूनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चिति करना:** अधिकारियों को इस तरह से प्रशक्ति कथिा जाना चाहथि कि वे यथोचिति रूप से कार्य करें और कानूनों का दुरुपयोग न करें। इसके साथ ही, कानूनों का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के वृहत उद्देश्य को पूरा करने के लिये कथिा जाना चाहथि और तुच्छ मुद्दों के लिये या प्रतशिोध के लिये इनका इस्तेमाल नहीं कथिा जाना चाहथि। [\[1\]\[2\]\[3\]\[4\]\[5\]\[6\]\[7\]\[8\]\[9\]\[10\]\[11\]\[12\]\[13\]\[14\]\[15\]\[16\]\[17\]\[18\]\[19\]\[20\]](#) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यही नरिदेशति कथिा गया है।
- **वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करना:** अधिकारियों को कुछ वैकल्पिक उपाय खोजने चाहथि और यद संभव हो तो कसी व्यक्ति को नरिद्ध करने से बचने का प्रयास करना चाहथि। कसी अपराध के लिये दंड का उस अपराध की गंभीरता से प्रत्यक्ष एवं समानुपाती संबंध होना चाहथि। उदाहरण के लिये, कसी मामूली अपराध के लिये एक मामूली जुर्माना पर्याप्त हो सकता है, जबकि कसी गंभीर या हसिक अपराध के लिये सुदीर्घ कारावास का दंड उपयुक्त होगा।
- **दुर्लभतम मामलों में उपयोग:** कसी भी परिदृश्य में कानूनों का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं कथिा जाना चाहथि। अधिकारियों द्वारा अपराध की गंभीरता का नरिणय कथिा जाना चाहथि और दुर्लभतम (Rarest of the Rare) मामलों में इन कानूनों का उपयोग कथिा जाना चाहथि।

नषिकरष

जबकि नविरक नरिध कानून वधि-व्यवस्था बनाए रखने में एक उपयोगी साधन हो सकते हैं, मानवाधिकारों के कसिी भी उल्लंघन से बचने के लयि उनका कार्यानवयन पर्याप्त सावधानी से कयिा जाना चाहयिे । सरकार को यह सुनश्चिति करने की आवश्यकता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग न हो और इनका उपयोग केवल तभी कयिा जाए जब वयक्तयिों के परतकिसिी अनुचति हानाको रोकने के लयि इनकी आवश्यकता हो ।

अभयास प्रश्न: नविरक नरिध कानूनों की प्रायः उनके दुरुपयोग के लयि आलोचना की जाती है । ऐसे कानूनों पर नयायपालकिा के दृषटकिोण के आलोक में इन कानूनों की आवश्यकता का समालोचनात्मक वशिलेषण कीजयिे ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/abuse-of-preventive-detention-laws>

